RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341
Impact Factor – 1.115

बौद्ध धम्म में महिलाओं की स्थिति : एक अध्ययन

प्रतिमा ज्योति
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

भारत सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों की भूमि रही हैं। जहाँ समय–समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत ही नही अपितु सम्पूर्ण भू–मण्डल को अपने ज्ञानदीप से प्रकाशित किया है। महापुरुषों की इसी श्रृंखला में विश्व मे समता के प्रतिष्ठापक , एशिया के प्रकाशपुन्ज, महाकारुणिक , महामानव, विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध का नाम आता है जिनका जन्म 563ई0पू0 बैशाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में शाक्यगण के प्रधान राजा शुद्धोधन एवं महामाया के पुत्र के रुप में हुआ। बचपन से ही चिन्तनशील प्रवृत्ति के होने के कारण समाज में व्याप्त गरीबी , अशिक्षा, हिंसा ,ऊँच–नीच, जातिवाद तथा लिंगभेद जैसी समस्याएं सिद्धार्थ (बचपन का नाम) का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया करती थी। उपर्युक्त समस्याओं के साथ–साथ तत्कालीन समाज में स्त्री और पुरुषो के बीच गैर बराबरी की व्यवस्था मौजूद थी। किंचित अपवादों को छोड़कर स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित होने के साथ–साथ अपने सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों से विहीन थीं। धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान तो उनके लिए बिल्कुल निषिद्ध था। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। समाज में उन्हें केवल भोग विलास की सामग्री समझा गया। ऐसे समय में जब तथागत बुद्ध ने समता, स्वतन्त्रता , बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित एक धम्म की स्थापना की जिसमें सभी को चाहे स्त्री हो या पुरुष , ब्राह्मण हो या शूद्र सभी को समान अधिकार प्राप्त थे।[1]

तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में समता और बराबरी पर बहुत जोर दिया। उन्होंने लोगों के बीच न केवल समानता की शिक्षा दी बल्कि स्वयं भी वैसा आचरण किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी धर्म प्रवर्तक ने अपने धम्म मे महिलाओं को दीक्षा का अधिकार देकर भिक्खुणी बनने को मौका दिया। फलस्वरुप एक स्वतन्त्र एवं पृथक् भिक्खुणीसंघ की स्थापना हुई। इस प्रकार स्त्रियों को बराबरी का हक देने वाले तथागत बुद्ध विश्व कि पहले धम्म गुरु बने।[2]

भिक्खुणी संघ की स्थापना कर गौतम बुद्ध ने नारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति दी और उनके चहुँमुखी विकास का रास्ता प्रशस्त किया। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिससे स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व, उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति करने का सुअवसर मिला और दुनिया के इतिहास में पहली बार स्त्रियों को यह सिद्ध करने का मौका मिला कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने में स्त्रियां किसी भी तरह पुरुषों से पीछे नही हैं। दीक्षित होने का अधिकार मिलने से स्त्रियों को पहली बार घर के चौका बर्तन करने के अलावा अपनी आत्म–उन्नति करने के लिए साधना करने का मौका भी मिला और अपने मानवीय गुणों के चहुँमुखी और सर्वांगीण विकास का अवसर मिला। तथागत बुद्ध का मानना था कि स्त्रियां भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और ज्ञान के द्वारा निर्वाण सुख का साक्षात्कार कर सकती हैं।[3]

भिक्षुणी संघ में दीक्षित होने का मौका मिलते ही हजारों की संख्या में स्त्रियाँ भिक्खुणी बनीं। भिक्षुणी संघ में हर वर्ग, हर सम्प्रदाय, हर जगह की महिलाएं यथा–महाप्रजापति गौतमी जैसी राज–रानियां, प्रकृति जैसी चाण्डालिका, आम्बपाली जैसी नर्तकी, खेमा जैसी राजकुमारी थी। सुमंगला, मथिका, वासंती जैसी अनगनित महिलाओं ने आध्यात्मिक जीवन की ऊँचाइयों पर पहुँच कर अपने साथ भिक्खुणी संघ का नाम रोशन किया और निर्वाण सुख को प्राप्त हुई।[4] उन्होंने कला–संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की। जैसे थेरी गाथा भिक्खुणियों ने ही लिखी है। वास्तव में

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341
Impact Factor – 1.115

थेरीगाथा नारी स्वतंत्रता को प्रकट करने वाला प्रथम ग्रंथ है। थेरीगाथा में 'भिक्खुणी सुमंगलमाता ने अपने उद्‌गार कुछ इस तरह प्रकट किया है–

सुमुत्तिका सुमुत्तिका, साधुमुत्तिकाम्हि मुसलस्स।
अहिरिको में छत्तकं वा पि, उक्खलिका में देड्डुभं वा ति।।

(अहो, मैं मुक्त नारी हूँ मेरी मुक्ति कितनी धन्य है, पहले मैं मूसल लेकर धान कूटा करती थी, आज मैं उससे मुक्त हो गई हूँ, मेरी दरिद्रावस्था के वे छोटे–छोटे भांडे–बरतन, जिनके बीच मैं मैली–कुचैली बैठती थी और मेरा निर्लज्ज पति मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था, जिन्हें वह अपनी जीविका के लिए बनाता था।)[5]

इसी प्रकार भिक्खुणी मित्रा अपने पूर्व जीवन पर अनुचिन्तन करती हुई, ज्ञान के प्रकाश के उल्लास में कहती है–

चातुद्‌दसिं पंचदसिं, या च पक्खस्स अट्‌ठमी।
पाटिहारियपक्खंच, अट्‌ठंगसुसमागतं।।
उपासंथं उपागच्छिं, देवकायभिन्दनी।
साजज एकेन भत्तेन, मुण्डा संघटिपारुता।
देवकायं न पथहं, विनेय्य ह्रदये दरंति।।

(मैं हर चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णमासी को और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को व्रत रखती थी और आठ प्रकार के संकल्पों वाला व्रत रखती थी। किसलिए? यह सोचकर कि देव–योनि को प्राप्त कर मैं स्वर्ग में वास करूँगी। वही मैं आज रोज एक समय आहार ग्रहण करने वाली हूँ, मुंडे हुए सिर वाली हूँ, चीवर (काषायवस्त्र) पहने वाली हूँ, किन्तु आज मुझे देव योनि की कामना नहीं है, स्वर्ग में वास करने की अभिलाषा नहीं है, कारण मैंने ह्रदय की चिंताओं को ही दूर फेंक दिया है।)[6]

थेरीगाथा से भिक्खुणियों की प्रतिभा और राजनैतिक सोच स्पष्ट परिलक्षित होती है। सारिपुत्त ने ब्राह्मण जाति में पेदा होकर भी ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणी संस्कारों से विद्रोह करके ज्ञान और विमुक्ति की चाह में बुद्ध की शरण में चला गया। चाला (सारिपुत्त की छोटी बहन) ने भी सोचा कि ब्राह्मण धर्म में न ज्ञान है, न विमुक्ति है। चाला कहती है,

इतो वहिद्धा पासण्डा, दिट्‌ठयो उपनिस्सिता।
न ते धम्मं विजानन्ति, न ते धम्मस्स कोविदा।।
अत्थि सक्यकुले जातो, बुद्धो अप्पटिपुग्गलो।
सो मे धम्ममेसेसि, दिट्‌ठिनं समतिक्कमं।।[7]

(मिथ्या मार्ग का अवलंबन करने वाले, मिथ्या दृष्टियों में फँसे हुए साधुओं से मेरा कोई संबंध अथवा लेन–देन नहीं है। वे इस मार्ग से बहुत दूर है। सत्–धम्म के संबंध में वे कुछ नहीं जानते। किन्तु शाक्य–कुल में एक बुद्ध ने जन्म लिया है, वह अप्रतिम पुरुष हैं। उन्होंने धम्म का उपदेश दिया है, जिसे सुनकर मैंने मिथ्या दृष्टियों को पार कर लिया है।)

दुक्खं दुक्खसमुप्पादं, दुक्खस्स च अतिक्कमं।
अरियं च अट्‌ठंगिकं मग्गं, दुक्खूपसगामिनं।।
तस्साहं वचनं सुत्वा, विहरिं सासने रता।
तिस्सा विज्जा अनुप्पत्ता,कतं बुद्धस्स सासनं।।[8]

(दुःख क्या है, दुःख की उत्पत्ति कैसे होती है और दुख का अतिक्रमण कैसे किया जाता है? इसके लिए बुद्ध ने मुझे दुःख उपशम की ओर ले जाने वाले आर्य आष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, उन भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर मैं उनके शासन के अनुशरण में लग गई। मैंने तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लिया है बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया है,)

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341
Impact Factor – 1.115

अनाथपिण्डिक के घर की दासी की पुत्री पुण्णिका तथागत बुद्ध उपदेश में प्रतिष्ठित होकर एक तथाकथित ब्राह्मण को वास्तविक विशुद्धि के मार्ग के बारे में बताते हुए कहती है–

को नु ते इदमक्खासि, अजानन्तस्स अनाजको।
दकाभिसेचना नाम, पापकम्मा पमुच्चति।।
सग्गं नून गमिस्सन्ति, सब्बे मण्डूककच्छपा।
नागा च सुसुमारा च, ये चञ्ञे उदके चरा।।[9]

(गंगा–स्नान–शुद्धि से पाप–मुक्ति होती है, यह तुझसे किसने कहा? यह तो अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति का अज्ञानी मूर्ख के प्रति उपदेश है। यदि गंगा जल से ही शुद्धि होती, तब तो मेढक, कछुए जल के सर्प, मगर और अन्य जलचरों का स्वर्ग में जाना सुनिश्चित है।)

इस प्रकार बुद्ध के धम्म में नारी स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति का निरपेक्ष भाव से प्राकट्य होता है। आगे चलकर पटाचारा, सुजाता, सीसूपचाला, आम्रपाली, इसिदासी, मित्ताकोली, भद्रा कापिलायिनी कितनों ने ही अपनी आत्मकथा को बड़े सुन्दर काव्यों में वर्णित करके नारी स्वतंत्रता को एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी। भिक्षुणी सुभा ने भिक्खुणी बनने के और बाद के जीवन का जितना बढ़िया और रोचक विवरण दिया है और अपने जीवन का मूल्यांकन लिखा है; वह एक वेहद सचेत, जागरूक, शिक्षित, प्रतिभावान और संवेदनशील इंसान ही कर सकता है।[10]

भिक्खुणी संघ में भिक्खुणियों को लगातार शिक्षा, संस्कृति और ध्यान साधना सिखाई जाती थी जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास हुआ। गौरतलब यह भी है कि अगरबुद्ध ने ऐसा कहा होता कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश होने से उनका धर्म 500 सालों में समाप्त हो जायेगा तो चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, भूटान, वर्मा, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, आदि देशों में क्यों नहीं समाप्त हुआ। आज भी बौद्ध धम्म न सिर्फ इन देशों में फल–फूल रहा है बल्कि अमेरिका और यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने जो महिलाओं को दीक्षा देने के पक्ष में नहीं थे गौतम बुद्ध पर ऐसा आरोप लगाया। यह आरोप बेबुनियाद और सच्चाई से बहुत दूर है। गौतम बुद्ध जैसा महामानव कभी ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपिटक में ऐसी भ्रामक बातें बाद में लिखी गयी। जब कि वस्तुस्थिति यह है कि तथागत बुद्ध ने महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया और समाज में उनको उचित स्थान दिलवाया।[11]

तथागत बुद्ध ने उपासकों के लिए जो पंचशील दिया, उसमें तीसरा पंचशील 'कामेसुमिच्छचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि'[12] (मैं अनैतिक व्यवहार, व्यभिचार व दुराचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।) प्रतिपादित करके स्त्रियों के प्रति प्रति सुरक्षा व सम्मान करने की प्रतिज्ञा करवायी। बुद्ध ने स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार दिया और भिक्खुणी संघ को स्वतंत्र रूप से चलाने का अवसर प्रदान कर उनकी संगठनात्मक क्षमता, राजनैतिक सोच और अपनी अलग पहचान विकसित करने का अवसर प्रदान किया। गौतम बुद्ध ने इस अवधारणा को तोड़ा कि स्त्रियां सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। तथागत बुद्ध ने धम्म में यह व्यवस्था बनायी कि यदि कोई भी विवाहित पुरूष भिक्खु संघ में सम्मिलित होना चाहता है तो उसके लिए उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक है। बुद्ध ने यह व्यवस्था इसलिए दी ताकि किसी स्त्री के जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जो बुद्ध की उत्तम सोच कर परिचायक है। इससे समाज में स्त्रियों का मान–सम्मान काफी बढ़ा। बहुत सी भिक्खुणियों ने निर्वाह सुख का साक्षात्कार किया और अर्हत पद को प्राप्त हुई।

विवाह संस्कार के समय प्रचलित कन्यादान की प्रथा का बुद्ध ने विरोध किया और कहा कि कन्या कोई वस्तु नहीं जो दान में दी जाय। बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दान में दी गयी वस्तु दाता के पास पुनः नहीं आती है क्योंकि देय पर दाता का अधिकार देने के बाद समाप्त हो जाता है। बुद्ध का ऐसा विचार है कि कन्या के पिता कन्या के उत्तम जीवन निर्वाह के लिए वर को समर्पित करते है और समय–समय पर उसकी देख–भाल स्वतः भी करते है। बौद्ध धम्म में विवाह के समय वर व वधू

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341
Impact Factor – 1.115

एक दूसरे का पूरक मानते है पाँच–पाँच प्रतिज्ञाये करते हैं, जिसमें पति का कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करें, कभी न अपमान करें, न अपमान होने दे, अपनी आय के हिसाब से पत्नी को धन दौलत, वस्त्र व आभूषण से संतुष्ट रखें।[13] वर के द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा कराकर बुद्ध ने स्त्री सम्मान व सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी क्रम में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा नाम की एक बीमारी जिसका दंश झेलते हुए तमाम स्त्रियाँ काल के गाल में समा जती है। बुद्ध ने इस व्यवस्था का जमकर विरोध किया, और कहा कि दहेज लेना और देनो पाप है। इस प्रकार मानव इतिहास में आज तक स्त्रियों की स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता और मान सम्मान के लिए गौतम बुद्ध द्वारा किया गया योगदान श्लाघनीय है।

गौतम बुद्ध ने जिस सामाजिक सरंचना की परिकल्पना की थी, भिक्ख संघ उसका एक आदर्श नमूना था। यह संघ पूरी तरह प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक था जो समता, स्वतत्रंता, बन्धुता और न्याय पर आधारित था। जो स्त्री हो या पुरुष, किसी भी तरह के भेदभाव से परे था। जिसकी स्पष्ट छाप हमारे भारतीय संविधान में परिलक्षित होती है। यह निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों की वही स्थिति थी जो एक आदर्श और प्रजातांत्रिक समाज में होती है। अतः स्त्रियों के प्रसंग में बुद्ध के द्वारा दी गयी व्यवस्था समाज के लिए उपादेय व अनुकरणीय है।

सन्दर्भ

1. आनन्द श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध : धम्म–सार व धम्म चर्या, सम्यक प्रकाशन 2005, पृ0 74
2. कांचा इलाया ''गाड एज पॉलिटिकल फिलोसॉफर : बुद्धाज चैलेन्ज टू ब्राह्मनिज्म साम्य, कोलकाता 2001, पृ01185
3. कांचा इलाया ''गाड एज पॉलिटिकल फिलोसॉफर : बुद्धाज चैलेन्ज टू ब्राह्मनिज्म साम्य, कोलकाता 2001, पृ0192–193
4. नारद 'द बुद्धा एण्ड हिज टीचिंग्स'' बुद्धिस्ट मिशनरी सोसाइटी, कुऑलालम्पुर मलेशिया, 1988 'करेक्टरस्टीक्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड वुमेन, पृ0 1185
5. डा0 विमल कीर्ति, थेरीगाथा सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2003, पृष्ठ–63
6. डा0 विमल कीर्ति, थेरीगाथा सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2003, पृष्ठ–201
7. थेरीगाथा, श्लोक संख्या–184, 185
8. थेरीगाथा, श्लोक संख्या–186, 187
9. थेरीगाथा, श्लोक संख्या–240, 248
10. कांचा इलाया ''गाड एज पॉलिटिकल फिलोसॉफर : बुद्धाज चैलेन्ज टू ब्राह्मनिज्म साम्य, कोलकाता 2001, पृ0195
11. आनन्द श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध : धम्म–सार व धम्म चर्या, सम्यक प्रकाशन 2005, पृ0 77
12. आनन्द श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध : धम्म–सार व धम्म चर्या, सम्यक प्रकाशन 2005, पृ0 231
13. आनन्द श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध : धम्म–सार व धम्म चर्या, सम्यक प्रकाशन 2005, पृ0 84